तारीख	कार्यवाही	
/1/23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान वकुलाय सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 2/2/23 को पेश हो।	
/2/23	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्षकारान वकुलाय पूर्व पेशी को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परिशीलन किया गया। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2075-2078 से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि ग्राम बेमण के ख.स. 361, 365, 397, 399, 3991। मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। अगर उक्त भूमि में विवादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तांतरण होगा तो विवाद बढेंगे। अप्रार्थी स. 1, 5, 6 के वकील द्वारा भी बहस में राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु सहमति दी है। अतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया, सुविधा के संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिंदु पर अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में सफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को इस आशय की ~~अंतरि~~ अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के ~~निस्तारण~~ निस्तारण तक पाबंद किया	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब... अहक... हुक्म... मे...
	जाता है कि वे ग्राम बेनण के ख.स. 361, 365, 397, 399, 399/1 में राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद बनाए रखेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल मूल पत्रावली हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर शहर (जोधपुर)	